कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॅारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में.

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर—मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत ज्ञानसू-साल्ड मोटर मार्ग से ज्ञानसू उपला बस्ती तक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/18704/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS दिनांक 23–09–2016

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक— 23—09—2016 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, मुनिकीरेती, उत्तराखण्ड, के पत्रांक 2259/12—1 दिनांक 06—01—2018 से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या मय संलग्नक सहित निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:—

S.No	EDS	REPLY
1	In the geo referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) part I online, geo coordinates are shown in google. map which does not serve the purpose, May provide/upload scanned copy of clear GIS software generated geo referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200m to 300m interval along the alignment including all turning points.	भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक 200 मी० से 300 मी० पर दर्शा कर प्रस्तावक विभाग द्वारा part I के बिन्दु सं0 $C(iv)$ में अपलोड कर दिया गया है।
2	the State Govt may review the employment generation detail given in part I appears to be incorrect. the correct information may fill.	पार्ट-। के कम संख्या E-(ii,),(iii) में employment generation details correct कर दिया गया है।
3	The sub divisional level committee proceeding attached with the FRA certificate is undated.	वनाधिकार प्रमाण पत्र में तिथि अंकित करते हुए प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के बिन्दु संo K-(a) में अपलोड कर दिया गया है।
4	The Date of District Level Committee (DLC) is 26-12-2015 in one documents and 02-01-2016 in other which is not possible. The State Govt may provide DLC certificate of correct date the revised FRA after all necessary correction as mentioned above in points 3 and 4 upload it ti the designated place in part-I as the FRA is not uploaded in column K of online Part I.	जिला स्तरीय समिति की दिनांक 24–12–2016 में आयोजित बैठक के उपरान्त वनाधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा part I के बिन्दु संठ K-(a) में अपलोड कर दिया गया है।
5	The data furnished in the district profile is appears to be incorrect as the total diverted land does not tally with the CA stipulation, the State Govt may review the information furnished and if required may clarify the differenced.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त आपित्त का निराकरण पार्ट ।। में upload कर दिया गया है।
6	The density appears to be incorrect in online Part II the State Govt may review the same and provide correct density accordingly.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट ।। में upload कर दिया गया है।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी